भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH GH 502286

NOTARY

(प्रारुप अ)

हम डा0 सुमन यादव (अध्यक्ष) एंव महिमा सिह (सचिव) कमशः अध्यक्ष एंव सचिव डॉ सीता राम यादव मेमोरियल ट्रस्ट न्यु अशोक बिहार कालोनी शिवपुर वाराणसी शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते है –

1– यह कि हमारी डॉं सीता राम यादव मेमोरियल ट्रस्ट न्यु अशोक बिहार कालोनी शिवपुर वाराणसी द्वारा मानवेन्द्र सिंह सुमन महाविद्यालय फार्मेसी कालेज पेसारा केराकत जौनपुर नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है ।

2– यह कि हमारी डॉं सीता राम यादव मेमोरियल ट्रस्ट न्यु अशोक बिहार कालोनी शिवपुर वाराणसी (पता जहां पर भूमि स्थित है) पेसारा केराकत में गाटा संख्या 1577 रकबा कमशः 0.810 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.810 हेक्टेयर)भूमि है ।

3– यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा है, और [illegible] ।

4– यह कि. उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 1577 रकबा कमशः [illegible] उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक दिनांक 13/05/2019 द्वारा पारित किया गया है ।

5– यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है ।

NOTARY GOVT. OF UTTAR PRADESH

Scanned with OKEN Scanner

6– यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

7 यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनो पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा ।

8–यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायगा ।

9–यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/ विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/ सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय/ आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायगा ।

10– यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रुम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा ।

11– यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एंव अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा ।

12–यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/ आदेशो का भलीभांति पालन करुँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एंव मुझे मान्य होगा । इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

13– मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रुप से सत्य है । यदि दी गयी जानकारी एंव अभिलेख/दस्तावेज फर्जी कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी । ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हुतु मै स्वय उत्तरदायी होऊँगा ।

ह0 सचिव

Dr. Suman Yadav
ह0 अध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner